उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-5

संख्या-43/2019/1189/12-5-2019-सा-73/2017

लखनऊः दिनांक 01 अक्टूबर, 2019

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-42/2019/1169/12-5-2019-सा-73/2017, दिनांक 24 सितम्बर, 2019 के पृष्ठ-3 पर योजनान्तर्गत 217 अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों हेतु स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य शीर्षक के अन्तर्गत तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित ''वर्ष 2018-19'' के स्थान पर ''वर्ष 2019-20'' पढ़ा जाये।

2- शासनादेश दिनांक 24 सितम्बर, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या-43/2019/1189(1)/12-05-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, नियोजन/वित्त/उद्यान/लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना, उ0प्र0 लखनऊ।
6- कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कृषि निदेशक।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
10- अपर कृषि निदेशक (भू0सं0), उ0प्र0 लखनऊ।
11- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा कृषि निदेशक।
12- समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा कृषि निदेशक।
13- समस्त उप कृषि निदेशक (भू0सं0), उ0प्र0 लखनऊ।
14- समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कृषि निदेशक।
15- समस्त जिला कृषि अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कृषि निदेशक।
16- नियोजन अनुभाग-3/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in